असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 नवम्बर, 2018

षोडश बिहार विधान सभा — मंगलवार, तिथि 27 नवम्बर, 2018 ई0
एकादश सत्र — 06 अग्रहायण, 1940 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल ।

अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे । श्री ललित कुमार यादव, अल्पसूचित प्रश्न सं0-1

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गए)

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कानून-व्यवस्था चौपट हो गई है । स्थिति ऐसी भयावह है कि दिन-दहाड़े लूटपाट, हत्या, अपहरण, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं । राज्य सरकार अपराधियों से सख्ती से न निपट कर उनके उपमुख्यमंत्री अपराधियों से पितृपक्ष मेला के उद्घाटन समारोह में अपराध नहीं करने के लिए हाथ जोड़ते हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक-से-एक गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए नियम में व्यवस्था है । आप नियमानुसार उठाइएगा, आसन सुनेगा । अभी तो प्रश्नकाल है । ललित यादव जी का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी जगह पर जाने को कहिए । आपलोग जगह पर जाइए न ! नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं । जगह पर तो जाइए । सहयोग करिए । आपलोग जगह पर जाइए न !

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, इसको हम सबलोग जानते हैं । लेकिन पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पूरा माहौल बना हुआ है जहां उपमुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर अपराधियों से विनती करना पड़ रहा है, महोदय, पूरे लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर जिस प्रकार से सीतामढ़ी की घटना हुई, दंगा-फसाद हुआ, ट्रेजरी घोटाला मुजफ्फरपुर में हुआ, लूट, मर्डर, हत्या, अपहरण जैसे वारदात में बढ़ोत्तरी हुई है महोदय । महोदय ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, उन मुद्दों को उठाने के तो तरीके अपने नियमावली में प्रावधानित हैं । उसके तहत अगर आप नियम से उठाइएगा तो अपनी सारी बात रखिएगा, दूसरे सदस्य भी रखेंगे । सरकार को भी कहना पड़ेगा लेकिन इस तरीके में, इस अव्यवस्था में तो न आपकी बात सुनी जाएगी, न इनकी बात सुनी जाएगी, इससे तो किसी का फायदा नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः एक मिनट, एक मिनट । महोदय, पहले भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव ...

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन को ऑर्डर में लाया जाए महोदय । जब तक सदन ऑर्डर में नहीं है महोदय, तो क्या बात हो सकती है महोदय ?

(व्यवधान)

आपने लगातार नियमन दिया है महोदय । नियमन का अनुपालन माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों को करना चाहिए महोदय । अगर राज्य में गंभीर कोई सवाल है महोदय, कोई मुद्दा है महोदय तो उसको उठाने के लिए नियमावली में प्रावधान है । अब माननीय सदस्यों से मैं भी आग्रह करता हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जाएं और कोई बात जो रखना है, कोई सवाल उठाना है तो अपनी जगह पर जाकर उन सवालों को उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा महोदय । सदन की कार्यवाही ठीक से चले, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप जगह पर जाइए न ! अगर आपलोग जगह पर जाकर एक-एक करके बोलिएगा तो सबकी बात सुनेंगे ।

(व्यवधान)

अरूण जी, आप हमको देखकर बोलिए न ! आप उधर कहां देखते रहते हैं ? आप हमारी तरफ देखिए । अगर आप सबलोग जगह पर जाकर एक-एक

करके बोलिएगा तो सब की बात सुनी जाएगी । सबलोग एक साथ बोलिएगा तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही चलाने के लिए आपलोग जगह पर बैठ जाइए । आपलोग जगह पर बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 11.08 बजे पूर्वाह्न में स्थगित हुई)

टर्न-2/कृष्ण/27.11.2018

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदन ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय मंत्री कृषि विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-34 (2)(i) के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक आदमी बोलियेगा तब न सुनेंगे । आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं । आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाईये और एक आदमी बोलिये ।

(व्यवधान)

अब विधायी कार्य होगा ।

विधायी कार्य

(राजकीय विधेयक)

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2018

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री,वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2018 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (i) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे । धन्यवाद ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2018 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डश: लेता हूं ।

खण्ड 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 एवं 3 विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : खण्ड 4 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड 5 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने ।

(व्यवधान)

आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाकर बोलिये न । अपनी जगह पर नहीं जाना है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : खण्ड 8 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 8 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 8 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड 9 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता क्या चाहते हैं ?

अध्यक्ष : नेता, विरोधी दल आपकी अव्यवस्था के चलते कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 9 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 9 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 10 एवं 11 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 10 एवं 11 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 10 एवं 11 इस विधेयक का अंग बने ।

(व्यवधान)

पहले इनको तो कहिए कि अपनी-अपनी जगह पर चले जाएं ।

अब आप ही कहिए कि सदन में अव्यवस्था है और आपको बोलवायें हम, यह नेता,विरोधी दल के पद के अनुरूप नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : महोदय, सदन में अव्यवस्था है तो बिल पास होने का कोई मतलब नहीं है । दूसरी बात कि जब राज्य में अव्यवस्था है और उस पर हमलोग बोलना चाहते हैं, सरकार से बहस करना चाहते हैं, इसलिए हमलोग चाहते थे कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाय । महोदय, सुप्रीम कोर्ट की अभी टिप्पणी आयी है, राज्य सरकार को फटकार लगाया गया है, मुजफ्फरपुर के मामले को ले करके, उसमें भी आप देख लीजिये । अगर उस समय हमलोग इन बातों को नहीं उठाते तो आज यह नौबत यहां तक नहीं पहुंची होती । तो उसी तरीके से बिहार में आज जो लॉ एण्ड आर्डर की परिस्थिति है, जिस तरह से ट्रेजरी घोटाला हुआ, जिस प्रकार से सीतामढ़ी में कांड हुआ है, आज सरकार कान में रूई लगाकर बैठी हुई है और उपमुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

हम इनसे हाथ जोड़ते हैं कि कम से कम अपराधियों को जेल भेजने का काम कीजिये ।

अध्यक्ष : नेता, विरोधी दल । आसन भी चाहता है कि राज्य की या जनता की जो ज्वलंत समस्यायें हैं, उन पर विमर्श हो । आसन भी यह चाहता है । उसके लिये नियम और प्रावधान उपलब्ध है । आप चाहें तो इसपर विशेष वाद-विवाद कर सकते हैं । आपके एक प्रश्न उठाने से तो एक जवाब आयेगा । आप चाहें तो प्रस्ताव लाकर दो घंटे का वाद-विवाद कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं ।

टर्न-3/राजेश/27.11.18

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय हमलोग व्यवस्था बनाये रखना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: लेकिन महोदय जब एक वर्ग का क्वेशचन जो लॉ एण्ड ऑर्डर से जुड़ा हो, लूट से जुड़ा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, उस वर्ग का क्वेशचन पूछने का हमें अधिकार ही नहीं है, तब हम कौन सी प्रकिया अपनावें ?

अध्यक्ष: आपके पास विकल्प उपलब्ध है । आप विशेष वाद-विवाद कराइये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव विशेष परिस्थिति में, असामान्य परिस्थिति में आता है । महोदय, कार्य स्थगतन का मतलब ही होता है कि सारे कार्य को रोक करके इसके महत्व को समझा जाय ।

अध्यक्ष: सिद्दिकी साहब, जितनी बातों की चर्चा आप कर रहे हैं, वह सब कोई ऐसे नहीं है कि अभी और तुरत हुए हैं, ये सब पिछले सदन से मामले चले आ रहे हैं, यह आप भी जानते हैं ।

अब खंड 12 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-13 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-14 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-14 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-15 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-15 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-15 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-16 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-16 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–17 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड–17 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–18 में 3 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड–18 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–18 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 एवं 32 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड–19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018"

स्वीकृत हो । महोदय, यह जो मेरे भाषण का लिखित अंश है, उसे मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के प्रथम संशोधन हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी लागू हुई। वर्ष 2017–18 एवं चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के कर संग्रहण की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत् है:–

	2017-18	2018-19 (till Oct.)
SGST Cash	2362.90	2637.17
IGST Settlement	4383.95	6076.94
Non GST (including arrears)	10489.49	3382.86
Compensation	3041.00	1057.00
Total	20277.34	13153.97
% Growth (against last year)	8.14	48.39

दिनांक 26.11.18 को राज्य में निबंधित व्यवसायियों का ब्यौरा निम्नवत् था:–

Status of Registration as on 26.11.18	
Migrated	166925
New Registration	212145
Total	379070
Out of which:	
Central jurisdiction	131040
State Jurisdiction	248030
Total Composition dealers	97448

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू की गई। इसके साथ–साथ बिहार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया गया।

भारत जैसे विशाल देश में इस नयी कर प्रणाली के लागू होने के उपरान्त प्रशासी विभाग सहित इसके विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें मुख्य समस्या नेटवर्क आधारित थीं जो GSTN द्वारा संधारित Common Portal को लेकर थी। ऐसी समस्याओं का लगातार समाधान किया जाता रहा।

इस क्रम में इस प्रणाली के नियमों एवं कभी–कभी अधिनियम को लेकर भी समस्यायें आयी। जहाँ तक नियमों का प्रश्न है इस संबंध में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से अनेक अधिसूचनओं का निर्गमन किया गया। किन्तु करदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के कतिपय प्रावधानों में सुधार (Clarification) की आवश्यकता महसूस की गई। फलतः ऐसे बिन्दुओं पर जीएसटी परिषद् की बैठको में विचार किया गया। परिषद् की अनुशंसाओं के आलोक में लोक सभा द्वारा केन्द्रीय माल और

सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जा चुका है, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है एवं यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं एवं पूरे देश में एक ही प्रकार का अधिनियम प्रभावी है। चुकि बिहार विधान मंडल का सत्रावसान हो गया था, फलतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुरूप बिहार राज्य में अध्यादेश लाया गया। वर्तमान में इस अध्यादेश को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2018 को पारित कराये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक के माध्यम से बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित मुख्य संशोधन निम्न प्रकार हैं :–

- राज्य में जीएसटी के अधीन आपूर्ति पर कर की देयता है एवं "आपूर्ति" को अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित किया गया है। जीएसटी के पिछले वर्ष के कार्यान्वयन में अनुभव के आधार पर "आपूर्ति" के दायरे को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव है,
- सम्प्रति अधिनियम की धारा 9(4) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी Unregistered Supplier से माल या सेवा लेने पर करदाता को Reverse Charge के आधार पर कर भुगतान करने की व्यवस्था है। छोटे व्यवसायियों की सुविधा के लिए वर्तमान में इस प्रावधान को स्थगित रखा गया है।

  प्रस्तावित विधेयक में अधिनियम की धारा 9(4) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया जा रहा है कि सरकार द्वारा Council के अनुशंसा पर अधिसूचित मामलों में ही Unregistered Supplier से प्राप्त माल या सेवाओं पर RCM के आधार पर कर भुगतान किया जायेगा।

- Composition dealer के सकलावर्त की अधिकतम सीमा रूपये 1 करोड़ से बढ़ाकर रूपये 1.5 करोड़ करने हेतु अधिनियम की धारा 10 में संशोधन तथा रू० 5 लाख या आवर्त्त के 10% की सीमा तक सेवाओं के मामले में Compounding की व्यवस्था। छोटे व्यवसायियों पर compliance का भार कम करने के उद्देश्य से संक्षिप्त विवरणी तथा त्रैमासिक आधार पर कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने की व्यवस्था की गयी। वर्तमान में Composition योजना के अंतर्गत कर की निम्न दरें लागू हैं:–
  - पात्र विनिर्माताओं के लिए 1% CGST + 1% SGST
  - रेस्टोरेंट क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के लिए 2.5 % CGST + 2.5 % SGST
  - अन्य सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए 0.5 % CGST + 0.5 % SGST
  - वर्तमान में कुल निबंधित 379070 व्यवसायियों में से 97448 व्यवसायी समाहितीकरण योजना का लाभ ले रहे हैं एवं ऐसे व्यवसायियों द्वारा गत् वित्तीय वर्ष के दो त्रैमास में

कुल रू० 25.75 करोड़ कर का भुगतान किया गया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वैट व्यवस्था के अधीन कुल लगभग 9 हजार Compounding व्यवसायियों द्वारा औसतन प्रति वर्ष लगभग रू०8 करोड़ कर के रूप में भुगतान किया जाता था एवं इस राशि में ईंट भट्ठे शामिल नहीं हैं।

- धारा 17(5) में ऐसे मामले उल्लिखित हैं जिनमें व्यवसायी को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगी। जीएसटी क्रियान्वयन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों को दूर करने एवं इस प्रावधान का दायरा पूरी तरह स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस धारा में संशोधन प्रस्तावित है।
- राज्य में कई स्थानों के लिए एक से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 25 में संशोधन। वर्तमान में जीएसटी में एक राज्य में एक पैन पर एक निबंधन लिये जाने का प्रावधान है (business vertical को छोड़कर) किन्तु व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये अब एक पैन पर एक से ज्यादा निबंधन लिये जाने हेतु संशोधन का प्रस्ताव है।
- किसी करदाता के निबंधन को अस्थायी तौर पर Suspension में रखे जाने हेतु धारा 29 में संशोधन प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि जिस व्यवसायी की कर देयता समाप्त हो गयी है उसके द्वारा निबंधन रद्द किये जाने हेतु आवेदन दिया जाना है। जब तक निबंधन रद्द नहीं होता तब तक व्यवसायी को विवरणी दाखिल करने की बाध्यता है भले ही ऐसी विवरणी में आवर्त एवं कर शून्य प्रतिवेदित क्यों न हो। ऐसे मामलों में व्यवसायी पर compliance का भार तथा सिस्टम पर सूचना संग्रहण का भार घटाये जाने के उद्देश्य से निबंधन रद्द किये जाने की तिथि से निबंधन रद्द किये जाने के आदेश तक की तिथि के बीच ऐसे व्यवसायी के निबंधन को निलम्बित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। निबंधन को निलम्बित किये जाने की दशा में निलंबन अवधि में विवरणी एवं अन्य compliance का भार न तो व्यवसायी पर होगा और न ही सिस्टम पर होगा।
- रिटर्न की दाखिला और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नयी धारा 43A का अंतःस्थापन। तद्नुसार, विवरणी की वर्तमान जीएसटीआर–1,2,3 के क्रमवार दाखिला के व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें मुख्यतः supplier द्वारा invoice upload करने के पश्चात् कतिपय अन्य प्रविष्टियों के आधार पर व्यवसायियों की विवरणी सिस्टम पर तैयार की जा सकेगी।
- वर्तमान में एसजीएसटी के भुगतान के लिए जितने आईजीएसटी क्रेडिट का उपयोग किया जाता है उतनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को fund settlement के रूप में प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में जीएसटी से कुल संग्रहण में से आईजीएसटी settlement का हिस्सा लगभग 67 प्रतिशत है। अर्थात् settlement की राशि में वृद्धि राज्य

सरकार के लिए लाभकारी होगा। अतः fund settlement की प्रक्रिया में गति लाने एवं राज्यों को त्वरित गति से settlement की राशि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से धारा 49 में संशोधन तथा नई धाराएँ 49क एवं 49ख प्रस्तावित हैं। इनके फलस्वरूप एसजीएसटी क्रेडिट का उपभोग तभी किया जा सकेगा जब आईजीएसटी क्रेडिट की राशि उपलब्ध नहीं होगी।

- वर्त्तमान में अपील दायर करने हेतु विवाद में शामिल बकाया कर की रकम का दस प्रतिशत जमा करने का प्रावधान है। यहाँ जमा की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा विहित नहीं है। फलतः धारा 107 में संशोधन करते हुए अपील दायर करने के पूर्व किसी करदाता द्वारा जमा की जानेवाली राशि की सीमा (Capping) निर्धारित करते हुए इसे अधिकतम रू० 25 करोड़ करने का प्रस्ताव है।
- मालों के जब्ती की स्थिति में 7 दिनों के पश्चात् वसूली की कार्यवाही किये जाने संबंधी समय सीमा को बढ़ाकर 14 दिन करने हेतु धारा 129 में संशोधन प्रस्तावित है।

इसके अलावा अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1, अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। मुख्य रूप से अनुसूची 3 में कतिपय ऐसी गतिविधियों को "no supply" माने जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्तमान में वस्तुतः निर्यात प्रकृति की हैं अथवा जिन पर वर्तमान में double taxation हो रहा है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार माल एवं सेवा कर (संशोधन)विधेयक,2018 स्वीकृत हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल एवं सेवा सकर (संशोधन)विधेयक,2018 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : आज दिनांक 27 नवंबर,2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 22 (बाईस) है । यदि सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 28 नवंबर,2018 को 11.00बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 2.17 बजे अप0 में स्थगित हुई)

.....